प्रेस नोट

दिनांक : 16.09.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद में रात्रि गश्त एवं सघन चेकिंग अभियान

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में दिनांक 15/16.09.2025 की देर रात्रि को जनपद गोण्डा के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी, हल्का प्रभारी तथा बीट आरक्षियों द्वारा अपने-अपने सर्किल व थाना क्षेत्रों में विस्तृत रात्रि गश्त एवं सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जनपद के नगर एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मुख्य चौराहों, बाजारों, आवासीय कॉलोनियों, राजमार्गों तथा अंधेरे/सुनसान इलाकों में विशेष निगरानी रखी गई। दो पहिया और चार पहिया वाहनों की गहनता से चेकिंग की गई। बिना नंबर प्लेट, संदिग्ध व लावारिस वाहनों का सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की गई।बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, ढाबे, होटल एवं लॉज आदि संवेदनशील स्थलों पर विशेष चेकिंग की गई। वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। रात्रि पिकेट ड्यूटी और बैंक ड्यूटी का गहन निरीक्षण कर सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया गया। ग्राम प्रधानों, चौकीदारों एवं ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। ग्रामीण पुलिस टीमों ने पैदल गश्त कर खेत-खलिहान, सुनसान रास्तों और बसावटों में रात्रि भ्रमण किया। यूपी-112 पीआरवी वाहनों द्वारा लगातार पेट्रोलिंग कर त्वरित पुलिसिंग सुनिश्चित की गई। किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रामक सूचना या सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाली पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों को चिह्नित कर साइबर सेल के माध्यम से तत्काल कार्यवाही की जा रही है। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की कि यदि किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि दिखाई दे तो तत्काल डायल-112 अथवा नजदीकी थाना/चौकी को सूचित करें।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि— "जनपद की शांति एवं कानून-व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नागरिकों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना और आपराधिक गतिविधियों को रोकना गोण्डा पुलिस का संकल्प है। रात्रि गश्त व चेकिंग का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा। किसी भी असामाजिक तत्व को कानून व्यवस्था बिगाड़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा।"

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक : 16.09.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा देर रात्रि क्षेत्र में भ्रमण कर कानून व्यवस्था की स्थिति का लिया गया जायजा, संबंधित को दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश

गोण्डा। जनपद में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने एवं हाल ही में ड्रोन से रेकी एवं चोरी से जुड़ी शिकायतों की वास्तविकता का स्वयं आकलन करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिनांक 15/16.09.2025 की देर रात्रि को 12 से 4 बजे तक शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रात्रि भ्रमण किया। महोदय ने देर रात मुख्य बाजार, संवेदनशील चौराहों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों तथा आउटर एरिया में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था, पेट्रोलिंग एवं पुलिस तैनाती का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम/मोहल्ला सुरक्षा समितियों , आम नागरिकों, व्यापारियों और रात्रि पाली में कार्यरत कर्मचारियों से संवाद स्थापित कर उन्हें आश्वस्त किया कि—

* किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल-112 या नजदीकी थाना/चौकी को दें। पुलिस द्वारा सूचना पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी।
* किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में ना लें , कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

रात्रि भ्रमण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारियों को गश्त बढ़ाने, चौकियों को अलर्ट रखने और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस बल को सतर्क रहकर गश्ती दल को और प्रभावी बनाने तथा आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाने हेतु तैनाती सुदृढ़ करने के आदेश दिए। इसी प्रकार जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारीगण द्वारा अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया था तथा आम जनमानस को जागरूक किया गया।

जनपद पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा प्रत्येक नागरिक को निरंतर सुरक्षा एवं शांति के प्रति आश्वस्त किया जा रहा है।

मीडिया सेल गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.09.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा कुआनों जंगल में घटित घटना का सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-219/25 धारा 103(1),118(1),115(2) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त अनोखीलाल पुत्र स्व0 गंगासागर नि0 शिवगढ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को कुआना जंगल शिवगढ से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर आलाकत्ल 01 अदद लोहे का बांका बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.09.2025 को थाना खरगूपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम शिवगढ़ निवासी गंगासागर व उनका पुत्र अनोखीलाल लकड़ी काटने हेतु कुआनों जंगल गए थे जहां पर अज्ञात हमलावरों ने उनपर धारदार हथियार से हमला किया गया। जिसमें गंगासागर की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा अनोखीलाल घायल हो गया है जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटलास्थल पर पहुचकर निरीक्षण किया गया। मृतक के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। मृतक के पुत्र अलखराम की लिखित तहरीर पर थाना खरगूपुर में अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित 05 पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष खरगूपुर को अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में आज दिनांक 16.09.2025 को तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त अनोखीलाल पुत्र स्व0 गंगासागर नि0 शिवगढ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को कुआनों जंगल शिवगढ से गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से आलाकत्ल 01 अदद लोहे का बांका बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पुलिस द्वारा पूछताछ में अभियुक्त अनोखीलाल द्वारा बताया गया कि वह 03 भाई हैं जिसमें वह सबसे बड़ा भाई है। अभियुक्त का पिता वर्तमान में अपने सबसे छोटे पुत्र (अभियुक्त के सबसे छोटे भाई) के साथ रहता था तथा अपनी सम्पत्ति उसी को दान करना चाहता था जिसको लेकर अभियुक्त व उसके पिता में विवाद रहता था। अभियुक्त ने हाल ही में अपनी पुत्री का विवाह किया था, जिसके कारण वह आर्थिक कर्ज़ में था और पिता से आर्थिक सहयोग चाहता था। पिता द्वारा आर्थिक मदद से इनकार करने पर अभियुक्त क्षुब्ध हो गया। उसने पूर्व सुनियोजित योजना के तहत लकड़ी काटने का बहाना बनाकर अपने पिता के साथ कुआनों जंगल में गया, जहाँ पैसों को लेकर दोनों में तीखी बहस हुई। इसी दौरान अभियुक्त ने धारदार हथियार बांका से अपने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। अभियुक्त ने घटना को छिपाने और स्वयं को बचाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी और हत्या का दोष दो अज्ञात व्यक्तियों पर लगाया। इस प्रकार अभियुक्त अनोखीलाल द्वारा मनगढंत चोर सम्बन्धी कहानी रचकर सुनियोजित तरीके से अपने पिता की हत्या की गयी व आलाकत्ल बांका थोड़ी दूर पर फेंक दिया जिसे अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. अनोखीलाल पुत्र स्व0 गंगासागर नि0 शिवगढ थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-219/25 धारा 103(1),118(1),115(2) बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01 अदद लोहे का बांका।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. श्री प्रदीप कुमार सिंह थानाध्यक्ष खरगूपुर मय टीम।
02. श्री गौरव तोमर प्रभारी एस0ओ0जी0/सर्विलांस मय टीम
03. व0उ0नि0 पंकज कुमार।
04. उ0नि0 अखिलेश यादव।
05. उ0नि0 सत्य नारायण
06. उ0नि0 रामबहादुर।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.09.2025

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से मारपीट करने के 06 आरोपी अभियुक्तों को हुई सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 19.05.2020 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सोनौली मोहम्मदपुर पूरे गडरियन पुरवा दो पक्षों के खेत में बकरी चले जाने की बात को लेकर विवाद को लेकर मार पीट करने की घटना घटित हुई थी। जिसमें दोनो पक्षों के लोग घायल हो गए थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दोनो पक्षों के मध्य सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा प्रथम पक्ष के 02 व द्वितीय पक्ष के 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेला भेजा गया था।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना खरगूपुर में पंजीकृत अभियोगों मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 शिवपाल सिंह व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक– 16.09.2025 को प्रथम पक्ष के 02 अभियुक्तों को 02 वर्ष का कारावास व 6,000–6,000/– रू0 के अर्थदण्ड व द्वितीय पक्ष के 04 आरोपी अभियुक्तों को 05 वर्ष का कारावास व 16,000–16,000/– रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्तगण का नाम पता–

प्रथम पक्ष –

01. मोहनलाल पाल पुत्र शीतला पाल नि0 गडरियन पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
02. योगेश पाल पुत्र शीतला पाल नि0 गडरियन पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।

द्वितीय पक्ष–

01. राधेश्याम पुत्र रामलाल नि0 गडरियन पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
02. हरिश्चन्द्र पुत्र रामलाल नि0 गडरियन पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
03. किशुन यादव पुत्र रामलाल नि0 गडरियन पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
04. वासुदेव यादव पुत्र रामलाल नि0 गडरियन पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. एन0सी0आर0–68/20, धारा 323,504 भादवि थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–107/2020, धारा 308,323,504 भादवि थाना उमरीबेमगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।